वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जि0भू0सु0 प्रशाखा)

पत्रांक 2355/जिला भू0 सु0, दिनांक 5.12.13

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
वैशाली ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– मेसर्स जय श्री बालाजी फैक्स एण्ड ऑयल, प्रा0लि0 एवं मेसर्स सर्वश्री सिद्धी रिफोयल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली को बिहार कृषि भूमि का गैर कृषि परियोजनाओं के लिए सम्परिवर्तन अधिनियम 2010 के तहत शत–प्रतिशत सम्परिवर्तन फीस में छूट देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर ने अपने पत्रांक 536 दिनांक 21.03.13 एवं पत्रांक 537/21.3.13 द्वारा जय श्री बालाजी फैक्स एण्ड ऑयल, प्रा0लि0 एवं मेसर्स सर्वश्री सिद्धी रिफोयल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली के द्वारा बिहार कृषि भूमि को गैर कृषि परियोजनाओं के लिए सम्परिवर्तन अधिनियम 2010 के तहत शत–प्रतिशत सम्परिवर्तन शूल्क में छूट की मांग पर, मार्गदर्शन/निदेश की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक 6/खा0म0 नीति– 01/2006/रा0–1247 दिनांक 5.9.07 के अनुसार संबंधित उद्योग की स्थापना एवं संस्थागत आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की स्थापना के उपयोग में भूमि सम्परिवर्तन की स्थिति में संबंधित प्रस्ताव पर नियमानुसार उद्योग विभाग के द्वारा दिये गये सलाह पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्णय लेने का अधिकार अनुमान्य है।

अतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8/विविध–23–41/2013/275(8)/रा0 दिनांक 30.10.13 के निदेशानुसार उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि वर्तमान में लागू उद्योग नीति अथवा किसी अधिसूचना द्वारा ऐसे उद्योग जिसके लिए सम्परिवर्तन फीस (शुल्क में छुट) देय नहीं है, का दर्जा प्राप्त है अथवा नहीं, के संबंध में अधिसूचित उद्योगों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

4/12

समाहर्त्ता,
वैशाली।

अनुमंडल भूमि सुधार कार्यालय, हाजीपुर

पत्रांक- 537

वैशाली समाहरणालय 3/13
हाजीपुर
23 MAR 2013
वैशाली, (हाजीपुर)

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
हाजीपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

विषय – मेसर्स सर्वश्री सिद्धी रिफोयल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली के द्वारा द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि परियोजनाओं के लिए समपरिवर्तन) अधिनियम 2010 के तहत शत-प्रतिशत समपरिवर्तन फीस में छूट के सम्बन्ध में।

प्रसंग–उद्योग विभाग, बिहार सरकार निदेशक तकनीकी विभाग का पत्रांक–1026/दिनांक–23.07.10

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेसर्स सर्वश्री सिद्धी रिफोयल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली के द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि परियोजनों के लिए सम परिवर्त्तन) अधिनियम 2010 के तहत अद्यौगिक इकाई के लिए 100 प्रतिशत समपरिवर्त्तन शुल्क में छूट की मांग की गई है। प्रसांगिक पत्र उद्योग विभाग, बिहार सरकार, निदेशक तकनिकी विभाग के पत्रांक–1026/दिनांक–23.07.10 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव के ज्ञापांक–1247/दिनांक–05.09.07 के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि इन्हें शत – प्रतिशत समपरिवर्त्तन शुल्क में छूट दी जाए या नहीं।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि निदेशक तकनीकी विभाग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से प्रसांगिक पत्र के आलोक में पत्राचार कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जा सकता है कि उपरोक्त औद्यौगिक इकाई को समपरिवर्तन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाए या नहीं।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,
हाजीपुर।

पत्रांक–8/विविध–23–41/2013 1275 (8)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री शशि भूषण तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

पटना, दिनांक– 30/10/2013

विषय :– मेसर्स जय श्री बालाजी फैक्स एण्ड ऑयल, प्रा0 लि0 एवं मेसर्स सर्वश्री सिद्धी रिफोयल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली को बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के तहत शत–प्रतिशत सम्परिवर्तन फीस में छूट देने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1542 दिनांक–25.07.2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–7 (1) में उद्योग से जुड़े मामलें, मुद्दे और नीति में सम्परिवर्तन फीस देय नहीं होने का उल्लेख है। उक्त अधिनियम की धारा–7 (1) का प्रावधान निम्नवत् है:–

"सम्परिवर्तन फीस में छुट ।– (1) उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में यथा अधिसूचित उद्योग से जुड़े मामले, मुद्दे और नीति में सम्परिवर्तन अनुमान्य होगा परन्तु इसमें सम्परिवर्तन फीस देय नहीं होगा। एतदर्थ, आवेदक सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन कर सकेंगे, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्परिवर्तन की स्वीकृति देगा। "

उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किस उद्योग को सम्परिवर्तन फीस से मुक्त किया जाना है, इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा ही अधिसूचित किया जाना है। सम्बन्धित उद्योगों को उद्योग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में यथा अधिसूचित उद्योगों के लिए सम्परिवर्तन की अनुमति सक्षम प्राधिकार से ली जानी तो आवश्यक होगी परन्तु उन्हें इस हेतु सम्परिवर्तन फीस देय नहीं होगा। अधिनियम की धारा–2 (छ) में सक्षम प्राधिकार अपने क्षेत्राधिकार में अनुमंडल पदाधिकारी घोषित हैं। विभाग से यथा अधिसूचित उद्योगों के मामले में सम्परिवर्तन की स्वीकृति लेनी होगी, परन्तु फीस देय नहीं होगा।

D:\Revenue 2013\Section 8\06-08-2013.doc

जहाँ तक मेसर्स जय श्री बालाजी फैक्स एण्ड ऑयल, प्रा0 लि0 एवं मेसर्स सर्वश्री सिद्धी रिफोयल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली के सम्बन्ध में सम्परिवर्तन फीस से छूट का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्तमान में लागू उद्योग नीति अथवा किसी अधिसूचना द्वारा ऐसे उद्योग जिसके लिए सम्परिवर्तन फीस देय नहीं है, का दर्जा प्राप्त है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में उद्योग विभाग से जानकारी प्राप्त कियां जाना समीचीन होगा।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि विशिष्ट उद्योगों के सम्परिवर्तन शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग विभाग से अधिसूचित उद्योगों की सूची प्राप्त करने की कृपा की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

30/7/13

(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुमंडल भूमि सुधार कार्यालय, हाजीपुर

पत्रांक- 536 दिनांक- 21.3.13

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
हाजीपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

वैशाली हाजीपुर 23 MAR 2013 वैशाली, (हाजीपुर)

विषय-मेसर्स जय श्री बालाजी फैक्स एण्ड ऑयल, प्रा0 लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली के द्वारा द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि परियोजनाओं के लिए समपरिवर्तन) अधिनियम 2010 के तहत शत-प्रतिशत समपरिवर्तन फीस में छूट के सम्बन्ध में।

प्रसंग-उद्योग विभाग, बिहार सरकार निदेशक तकनीकी विभाग का पत्रांक-1387/दिनांक-21.10.11

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेसर्स जय श्री बालाजी फैक्स एण्ड ऑयल, प्रा0 लि0, अकबर मलाही, सराय, वैशाली के द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि परियोजनों के लिए सम परिवर्त्तन) अधिनियम 2010 के तहत अद्यौगिक इकाई के लिए 100 प्रतिशत समपरिवर्त्तन शुल्क में छूट की मांग की गई है। प्रसांगिक पत्र उद्योग विभाग, बिहार सरकार, निदेशक तकनिकी विभाग के पत्रांक-1387/दिनांक-21.10.11 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव के ज्ञापांक-1247/दिनांक-05.09.07 के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि इन्हें शत - प्रतिशत समपरिवर्त्तन शुल्क में छूट दी जाए या नहीं।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि निदेशक तकनीकी विभाग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से प्रसांगिक पत्र के आलोक में पत्राचार कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जा सकता है कि उपरोक्त औद्यौगिक इकाई को समपरिवर्तन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाए या नहीं।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,
हाजीपुर।

263

16-1/13

216
1-4-13